

तारीख  
हुक्म

07/11/24

पत्रावली पेश हुइ प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। विप्रार्थी

अधिवक्ता  
की तारीख

एकपक्षीय। प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई तथा बहस पर  
मन्न किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं संलग्न  
दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि  
विवादित आराजी में प्रार्थीगण/वादीगण की ओर से स्थाई  
निषेधाज्ञा बाबत वांछित अनुतोष चाहा गया है, जो कि मूलवाद में  
साक्ष्य सबूतों के आधार पर तय होगा कि प्रार्थीगण राहत प्राप्त  
करने के हकदार है अथवा नहीं। लेकिन प्रथम द्विष्यता मामला व  
सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में बनता है, क्योंकि विवादित  
आराजी का विधिवत निस्तारण नहीं होने तक यदि दौराने  
विचारण वाद विवादित आराजी को लेकर पक्षकारान के बीच  
वाद-विवाद हो जाता है, तो प्रकरण को निस्तारण किए जाने में  
कानूनी पेचीदिगीया बढेगी तथा अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी  
प्रार्थीगण के पक्ष में बनता है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन  
आंशिक स्वीकार योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस नतीजे पर  
पहुंचा है कि प्रथम द्विष्यता मामला, सुविधा का संतुलन एवं  
अपूरणीय क्षति तीनों ही बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में बनते हैं।

लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान  
काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत साबित होने के कारण  
न्यायालय हाजा द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 22.6.2023 को  
मूलवाद के निर्णय तक कन्फर्म किया जाता है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर  
हो।

सहायक कलेक्टर  
(S.D.O.) बालोतरा

07/11/24